


69



R 3702 II/13

इन्द्रशरण सिंह तनय स्व0 नोखेलाल सिंह उम्र- 42 वर्ष, पेशा- वकालत, निवासी

विदेह नगर, ग्राम- नौगवां धीर सिंह, तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

इस कृत दि 8-10-13 को

निगरानीकर्ता

बनाम

बलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. न्यायालय

4:40 PM

- 1. म0प्र0 शासन
- 2. हरिप्रताप सिंह तनय वर्दी, उम्र- 60 वर्ष, पेशा- खेती, निवासी ग्राम- जमोड़ी कला, तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

श्रीमती कला सिंह  
पत्नी अशोक कुमार सिंह  
परिहार

- 3. श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी अशोक कुमार सिंह परिहार, पेशा- खेती एवं गृहकार्य, निवासी ग्राम- मुठिगवां, तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

माननीय न्यायालय  
के आदेश दिनांक  
8-9-17 के अनुसार  
अशोधन क्रमांक

- 4. श्रीमती किरण सिंह पत्नी त्रिविक्रम सिंह परिहार उम्र- 40 वर्ष, पेशा- खेती एवं गृहकार्य, निवासी ग्राम- मुठिगवां, तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)
- 5. सुनील तनय रामाधार द्विवेदी उम्र- 45 वर्ष, पेशा- खेती, निवासी ग्राम- हनुमानगढ़, तहसील- रामपुर नैकिन, जिला- सीधी (म.प्र.)

महोदय  
विनोद नगर एस.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला- सीधी (म.प्र.) राजस्व प्रकरण क्रमांक- 20/ निगरानी /2012-13 पारित आदेश दि0- 08.08.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

विनोद नगर  
एसके  
8-10-13

शालकीय कोमलिका  
गंजालालगार्ह मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

- 1. यह कि निगरानीधीन भूमि खसरा नंबर पुराना- 454/532/2 नया नंबर- 440 रकवा 260 एकड़ स्थित ग्राम- जमोड़ी कला तहसील- गोपदबनास

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3702-दो/2013

जिला सीधी

इन्द्रशरण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्रमांक 20/निग0/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 08-8-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>3</p> <p>सदस्य 5/3/19</p>